समाहरणालय, जहानाबाद
(विधि–व्यवस्था कोषांग)

पत्रांक *IV-06/2015-*1611 /वि०व्या०को०
दिनांक 16 वीं सितम्बर, 2015.

फोन नं० : 06114–223001
फैक्स नं० : 06114–223142
ई–मेल : **dm-jehanabad.bih@nic.in**

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 के अन्तर्गत 216–जहानाबाद, 217 घोषी एवं 218 मखदुमपुर(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन से लेकर प्रतीक आवंटन तक का कार्यक्रम निम्नरूपेण निर्धारित है :–

- नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि — 21.09.2015 से 28.09.2015 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)
- नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि — 29.09.2015 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से)
- अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि — 01.10.2015 (अपराह्न 03.00 बजे तक)
- निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के बीच प्रतीक आवंटन — 01.10.2015 (अपराह्न 03.00 बजे के पश्चात्)

नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने से लेकर प्रतीक आवंटन तक का कार्य 216–जहानाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी, 216–जहानाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 217–घोषी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी, 217–घोषी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र –सह– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जहानाबाद के न्यायालय कक्ष में तथा 218–मखदुमपुर(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी, 218–मखदुमपुर(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र –सह– अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद के कार्यालय जो अनुमंडल दंडाधिकारी, जहानाबाद के न्यायालय में कार्यरत रहेगा, में किया जाना है।

उक्त अवधि में अनुमंडल कार्यालय परिसर, जहानाबाद एवं निर्वाची पदाधिकारियों के कक्ष के समीप विधि व्यवस्था संधारण तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निम्न विवरण के अनुरूप दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सशस्त्र बल के साथ की जाती है –

क्रमांक	प्रतिनियुक्ति स्थान	प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी	प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी
1	आदर्श थाना, जहानाबाद के नवनिर्मित भवन के पास	श्री अरविंद कुमार, जिला उद्यान पदा0 9431818972	**पु0अ0नि0 सुशील कुजूर, नगर थाना जहानाबाद 8579988281**
2	अम्बेडकर चौक	श्री नवीन कुमार, कनीय सां0 सहायक, ज'बाद 9835220738	पु0स0अ0नि0 भवेश चौधरी, नगर थाना जहानाबाद 8002517372
3	अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद के मुख्य बाहरी गेट पर	श्री अंजनी कुमार, कनीय सां0 पर्य0, ज'बाद 9546953552	पु0अ0नि0 बनारसी चौधरी नगर थाना जहानाबाद 9472965676
4	निर्वाची पदाधिकारी 216–जहानाबाद के कक्ष के समीप	श्री लवलेश कुमार सिंह, बाल संरक्षण पदा0, जहानाबाद 9905631747	पु0अ0नि0 अवधेश कुमार, मखदुमपुर थाना 9934237344
5	निर्वाची पदाधिकारी 217–घोषी के कक्ष के समीप	श्री केवलकांत झा, कार्य0 पदा0, साक्षरता, जहानाबाद 6634724006	पु0अ0नि0 राजु रंजन कुमार, काको थाना जहानाबाद 9006507504, 7870217050
6	निर्वाची पदाधिकारी 218–मखदुमपुर (अ.जा.) के कक्ष के समीप	श्री राजेश कुमार, कार्य0 पदा0, अजाविनी, जहानाबाद 9470001166	पु0अ0नि0 संजय कुमार सिंह, कड़ौना ओ0पी0 9576973464

प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्दिष्ट अवधि में प्रतिदिन पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक उपस्थित रहेंगे।

क्रमांक (1) एवं (2) पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी मुख्य मार्ग पर यातायात को सुगम रखते हुए नाम निर्देषन में जाने वाले अभ्यर्थी एवं उनके सहयोगियों/सहबद्ध व्यक्तियों की गतिविधियों एवं आचरण की निगरानी रखेंगे। इनका यह दायित्व भी होगा कि वे किसी नामनिर्देशन करने आने वाले अभ्यर्थी विशेष के अधिकतम 3 वाहनों को ही निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि में आने देंगे तथा परिसर के आस–पास विधि व्यवस्था का संधारण एवं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

क्रमांक (3) पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी यह भी इसका अनुपालन सुनिष्चित करायेंगे। इनके द्वारा नाम निर्देषन की तिथि से संवीक्षा की तिथि तक अनुमंडल कार्यालय परिसर, जहानाबाद में प्रवेष करने वाले व्यक्तियों की समुचित जाँच एवं पहचान भी सुनिष्चित की जायेगी। अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद के मुख्य प्रवेष द्वार से पहले और अम्बेडकर चौक एवं आदर्ष थाना, जहानाबाद के नवनिर्मित भवन के

बीच में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद द्वारा बैरिकेडिंग करायी जायेगी तथा ड्रॉप गेट लगाया जायेगा। अनुमंडल कार्यालय परिसर में भी आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग तथा ड्रॉप गेट की व्यवस्था कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद द्वारा करायी जायेगी।

ऊपर क्रमांक (4) (5)एवं (6) पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे किसी नामनिर्देशन करने आने वाले अभ्यर्थी विशेष के साथ उनके अतिरिक्त अधिकतम चार व्यक्तियों (अर्थात् अधिकतम कुल पांच व्यक्तियों) को ही संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में आने देंगे। जिन मामलों में प्रस्थापकों की संख्या–10 होती है, वैसे मामलों में भी निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में ऊपर वर्णित अधिकतम पाँच व्यक्ति ही प्रवेष कर सकते है, शेष प्रस्थापकों को बाहर ही रखा जायेगा, जिन्हें आवश्यकतानुसार निर्वाची पदाधिकारी/विनिर्दिष्ट सहायक निर्वाची पदाधिकारी के निर्देष पर बुलाया जा सकता है। संवीक्षा की तिथि को निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में किसी नामनिर्देशन करने आने वाले अभ्यर्थी विशेष के संबंध में अधिकतम 04 व्यक्तियों (अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता, कोई एक प्रस्थापक एवं एक अन्य व्यक्ति) को ही प्रवेष की अनुमति प्रदान की जा सकती है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के पास अनावश्यक भीड़–भाड़ न हो तथा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट संख्या से अधिक संख्या में व्यक्ति किसी अभ्यर्थी विशेष के साथ निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रवेश न करें।

नाम निर्देषन से संबंधित पूरी प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के साथ जाने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं विनिर्दिष्ट परिधि तक आने वाली वाहनों की संख्या संबंधित उपर वर्णित निर्देषों का अनुपालन सुनिष्चित करने हेतु **श्री संजय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद** को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ एवं निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के लिए एक–एक वीडियोग्राफर की सम्बद्धता उप निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद ससमय सुनिश्चित करेंगे। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारीगण विधि व्यवस्था संधारण के अतिरिक्त प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की समय–तिथि एवं ध्वनि सहित वीडियोग्राफी करायेंगे तथा प्रतिदिन अपराह्न 4:30 बजे आदर्श आचार संहिता के अनुपालन संबंधी आत्मभारित प्रतिवेदन निर्वाचन आदर्ष आचार संहिता प्रबंधन कोषांग, जहानाबाद को समर्पित करेंगे।

जिला अग्निशाम पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि एक अग्निशाम वाहन अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद में दिनांक 20.09.2015 के अपराह्न 04:00 बजे से प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, जहानाबाद सभी प्रतिनियुक्ति स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों/महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति ससमय सुनिश्चित करेंगे तथा उन्हें हैलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर इत्यादि भी उपलब्ध करायेंगे एवं क्यु०आर०टी०/वज्र वाहन को तैयारी हालत में रखेंगे। थानाध्यक्ष, जहानाबाद एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद भी सतत भ्रमणषील रह कर चौकसी बरतेंगे तथा विधि–व्यवस्था का संधारण करेंगे।

नाम निर्देषन में आने वाले व्यक्तियों/वाहनों तथा आदर्ष आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय लेखा से जुड़े हुए पहलूओं की निगरानी/साक्ष्य संग्रह पूर्व से यथानिदेषित आदर्ष आचार संहिता प्रबंधन कोषांग द्वारा सम्पादित की जाएगी।

16/9/15 — पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद।

16/9/15 — जिला निर्वाचन पदाधिकारी, –सह–जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञाप संख्या *IV-06/2015-* 1611 /वि०व्या०को० दिनांक 16.09.2015

प्रतिलिपि : सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं विधि–व्यवस्था संधारणार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद/जिला अग्निशाम पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– बिहार विधान सभा निर्वाचन–2015 से जुड़े हुए जहानाबाद जिला स्तरीय सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी/सभी निर्वाची पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय प्रेक्षक/माननीय व्यय लेखा प्रेक्षक के सम्पर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं माननीय प्रेक्षक के अवलोकनार्थ प्रेषित।

16/9/15 — पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद।

14/9/15 — जिला निर्वाचन पदाधिकारी, –सह–जिलाधिकारी, जहानाबाद।